

मनोरंजन कर विभाग द्वारा उद्यमियों/छविगृह स्वामियों को प्रदत्त सुविधायें

मनोरंजन कर विभाग का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन के सुलभ साधनों को अधिकाधिक जनोपयोगी बनाते हुये ऐसे साधनों से आमोद एवं पणकर की वसूली सुनिश्चित करना तथा व्यापक निरीक्षणों के माध्यम से करापवंचन की रोकथाम के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि जनता को नियमानुसार आवश्यक सुविधायें एवं व्यवस्थायें सुलभ हो रही हैं। विभाग द्वारा उद्यमियों/छविगृह स्वामियों को प्रदत्त सुविधाओं का विवरण निम्नवत है -

1. छविगृह परिसर का अनुरक्षण -

सिनेमा परिसर के रख-रखाव हेतु शासन की अधिसूचना संख्या-1315/11-6-2013- एम(92)/2009 दिनांक 28 नवम्बर,2013 के द्वारा किसी सिनेमा का मालिक तत्काल प्रभाव से सिनेमा परिसर के अनुरक्षण और वातानुकूलन/वायुशीतन सुविधाओं हेतु प्रति टिकट मूल्य में से आमोद कर को छोड़कर कमशः रु. 6.00 और रु. 3.00 का उपयोग करेगा। शासन की अधिसूचना संख्या-230/11-क.नि.-6-2017-एम(92)/2009(टी.सी) दिनांक 27.03.2017 द्वारा उक्त अधिसूचना दिनांक 28.11.2013 में आंशिक संशोधन करते हुये इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन के दिनांक से ' किसी सिनेमा का मालिक सिनेमा परिसर के अनुरक्षण हेतु प्रति टिकट के मूल्य में से आमोद कर को छोड़कर 8.00 रुपये का उपयोग कतिपय शर्तों के अधीन अनुमन्य किया गया है। इस व्यवस्था से आमोद के स्वामी सिनेमा परिसर का रख-रखाव करते हैं जिससे सिनेमा में प्रवेश पाने वाले दर्शकों को बेहतर सुविधायें उपलब्ध होती हैं।

2. छविगृहों का उच्चीकरण-

सिनेमाहालों में फिल्मों को देखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान छविगृहों में उपलब्ध सुविधाओं तथा तकनीकों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण किया जाये। प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या- 952 दिनांक 03.11.1999 के अंतर्गत छविगृह में जनसुविधा के विस्तार एवं उन्हें जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से छविगृहों में आधुनिक घ्वनि प्रणाली, एअर कंडीशनिंग, जेनरेटर सेट, फाल्स सिलिंग लगाने एवं समस्त फर्नीचर बदलने तथा वृहद नवीनीकरण हेतु मनोरंजन-कर उपादान की नवीन योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत छविगृह-स्वामी को उपरोक्त सुविधाओं पर

किए गए निवेश के 50: की अधिकतम सीमा तक मनोरंजन-कर, जो इस सुविधा के बाद अतिरिक्त रूप से जमा किया जायेगा, अनुदान के रूप में अपने पास रखने की अनुमति पूर्व वर्ष में जमा किये गये मनोरंजन-कर राजस्व के बराबर, राजस्व शासकीय कोषागार में जमा करने के पश्चात् दी जायेगी। पुनः शासनादेश संख्या -621 (1) दिनांक 12.09.2014 द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 03.11.1999 में छविगृह में डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम एवं सौर उर्जा से संचालित संयंत्र स्थापित करने पर इस योजना के अंतर्गत निवेश की गयी धनराशि पर 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था कतिपय शर्तों के साथ की गयी है।

3. प्रदेश में मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन योजना वर्ष 2015-

प्रदेश में मल्टीप्लेक्स छविगृहों को खोलने हेतु शासनादेश संख्या-1972/11-6-10 एम(72)/2010 दिनांक 03.01.2011 द्वारा जारी प्रोत्साहन दिनांक 31.03.2015 को समाप्त हो गयी। राजस्व में वृद्धि, रोजगार सृजन तथा जनता को उच्च कोटि का मनोरंजन प्रदान करने के दृष्टिगत, नये मल्टीप्लेक्स छविगृहों को खोलने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या संख्या-714/11-6-15 एम(72)/2010 दिनांक 03.09.2015 द्वारा उक्त प्रोत्साहन योजना दिनांक 03.01.2011 को दिनांक 31.03.2020 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत नगर निगम एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स को प्रथम वर्ष में 100 प्रतिशत, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में 75 प्रतिशत एवं चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्राविधान किया गया है। नगर निगम एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा से भिन्न स्थानीय क्षेत्रों में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में 100 प्रतिशत और चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 75 प्रतिशत अनुदान देने का प्राविधान किया गया है। यह योजना 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी है। शासनादेश संख्या-1055/11-6-14-एम.(19)/2008 दिनांक 19.12.2014 के अन्तर्गत यह व्यवस्था भी की गयी है कि तत्संबंधी पूर्व शासनादेश संख्या-1211/11-क.नि.-6-2005-बीस.-आर.(12)/98 दिनांक 27.09.2005 की योजना के अन्तर्गत ऐसे मल्टीप्लेक्स छविगृह जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली 1951 में प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त कर सिनेमा का निर्माण करके निर्धारित अवधि 31.03.2011 के बाद लाईसेंस प्राप्त किया गया हो और उन्हें उक्त शासनादेश में अनुमन्य अनुदान का लाभ प्राप्त न हो पाया हो ऐसे मल्टीप्लेक्स छविगृहों को भविष्य में विभागीय राजस्व तथा रोजगार सृजन में वृद्धि होने के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 27.09.2005 के

सभी प्रतिबन्धों का पालन करने पर शासनादेश दिनांक 03.01.2011 में मल्टीप्लेक्स छविगृहों को अनुदान दिये जाने की व्यवस्था में संशोधन करते हुए निम्न अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। नगर निगम क्षेत्रों एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स हेतु प्रस्तावित अनुदान:-

प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष	मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 75 प्रतिशत अनुदान।
तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष एवं पंचम वर्ष	मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन का 50 प्रतिशत अनुदान।
छठा वर्ष एवं आगे	पूर्ण कर देयता

ऐसे मल्टीप्लेक्स छविगृहों में जिन्होंने शासनादेश दिनांक 27.09.2005 की योजना से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली-1951 के प्राविधानों के अन्तर्गत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु लाइसेंस दिनांक 31.03.2011 तक प्राप्त न कर सके हों और जो दिनांक 31.03.2016 तक प्रदर्शन हेतु लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं को उपरोक्तानुसार अनुदान का लाभ इस शर्त के साथ अनुमन्य होगा कि सिनेमा स्वामी द्वारा शासनादेश दिनांक 27.09.2005 के सभी प्रतिबन्धों का पालन किया गया हो तथा नियमानुसार शासनादेश के अधीन निर्माण की पूर्वानुमति जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त कर ली गयी हो।

(4) नये एकल निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना-

शासनादेश संख्या-950/11.-6-2016- एम(9)/16 दिनांक 30.12.2016 द्वारा छविगृह में अनुदान स्वीकृति के दिनांक से प्रथम वर्ष में 100 प्रतिशत, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में 75 प्रतिशत एवं चतुर्थ एवं पंचम वर्ष में 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(5) पुराने बन्द पड़े एवं घाटे में चल रहे छविगृहों हेतु योजना:-

सिने व्यवसाय को आर्थिक रूप से उपादेय बनाने के उद्देश्य से बन्द/घाटे में चल रहे सिनेमाओं को पुर्नसंरचित करके 125 अथवा अधिक आसन क्षमता के छोटे सिनेमा सहित व्यवसायिक गतिविधियां प्रारम्भ करने संबंधी शासनादेश संख्या-231/11-6-11-20 एम0 (19)/2008 दिनांक 20.05.2011 जारी किया गया है।

शासनादेश संख्या-843/11.-6-2016-20 एम(19)/08 दिनांक 30.12.2016 द्वारा घाटे में चल रहे सिनेमाओं को रिमाडल कर व्यावसायिक गतिविधियों से युक्त एकल/मल्टीप्लेक्स छविगृह बनाने पर 03 वर्ष की अवधि तक ऐसे एकल सिनेमा/मल्टीप्लेक्स में प्रथम फिल्म प्रदर्शन से कुल एकत्रित मनोरंजन कर का 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

(6) बन्द सिनेमाओं को पुनः संचालित कराने हेतु योजना-

प्रदेश में बन्द हुए छविगृहों को पुनः चालू किये जाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-927/11-6-2016-तीस ई0बी0-9(4)/92 दिनांक 30.12.2016 द्वारा दिनांक 31.03.2015 तक बन्द पड़े छविगृहों को बिना किसी निवेश के पुनः खोलने हेतु प्रोत्साहन दिये जाने के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में सिनेमा में संग्रहीत मनोरंजन कर का 30 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।